

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत

आदेश क्रमांक - सा-1-94/ 1619-1641

दिनांक सोनीपत 29/4/94

विषय:- इन्डियन मार्डर्न हाई स्कूल (सोनीपत) को स्थाई मान्यता प्रदान करना।

इन्डियन मार्डर्न हाई स्कूल गोहाना रोड बाई पास (सोनीपत) को दिनांक 1.4.94 से कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक स्थाई मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. भविष्य में पद भरते समय आरक्षण का ध्यान दिया जाये।
2. प्रबन्धक कमेटी विभाग से कोई पद/अनुदान नहीं मांगेगी तथा अपने खर्च पर ही विद्यालय चलायेगी
3. एजुकेशन कोड की धारा 214 में दी गई सभी शर्तों को पूरा किया जाये।
4. स्टाफ की छः महीने के वेतन के बराबर 5880/- की राशि छः माही चार किस्तों में जमा करवाई जाए।

प्रेम कुलेरी,
जिला शिक्षा अधिकारी,
सोनीपत।

पृष्ठांकन-सम-

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
3. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य के
4. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
5. मुख्याध्यापक/प्रबन्धक इन्डियन मार्डर्न हाई स्कूल गोहाना रोड बाई पास (सोनीपत)
6. अनुभाग अधिकारी (इस कार्यालय में)
7. सा-3 (सा-4) इस कार्यालय में।

*Prema Kularee
29.4.94*
जिला शिक्षा अधिकारी,
सोनीपत